

# कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

पत्रांक: क.भा.बि./5467/2026-27

दिनांक- 24.06.2026

## विज्ञापित

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक: के०जी०बी०वी०/शिक्षक/8362/2020-21 दिनांक: 04.01.2021 के साथ संलग्न, अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन पत्रांक संख्या-1553/68-5-2020 दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के क्रम में जनपद वाराणसी में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षण तंत्र कार्यों के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले महिला अभ्यर्थियों से शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त संविदा पर कार्य करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से पता-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के पदनाम से आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 10 जुलाई 2026 को सार्व 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे साधारण डाक अथवा आवेदन की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2026 के पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त विज्ञापित एवं प्रारूप Varanasi.nic.in पर उपलब्ध है। रिक्त पदों का विवरण एवं अर्हता निम्नवत है-

क्र. सं.	पद नाम	विषय	कुल पद	क०गा०बा० वि०	आरक्षण श्रेणी	मानदेय प्रतिमाह रू०	अनिवार्य शैक्षिक व प्रशिक्षण अर्हता
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	सामाजिक विषय	3	चौलापुर	GEN	25410/-	सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र) में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०/ प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/ समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
2				पिण्डरा	GEN	25410/-	
3				शिवपुर नगर क्षेत्र	EWS	25410/-	
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	हिन्दी संस्कृत	1	पिण्डरा	EWS	25410/-	भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत) से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/ समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
5	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	गणित	3	शिवपुर नगर क्षेत्र	GEN	25410/-	गणित (P.C.M.) वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०/ प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
6				चौलापुर	EWS	25410/-	
7				पिण्डरा	GEN	25410/-	
8	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)	विज्ञान	1	शिवपुर नगर क्षेत्र	GEN	25410/-	गणित (Z.B.C.) वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०/ प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/ समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
9	अंशकालिक शिक्षिका (महिला)	कम्प्यूटर शिक्षा	1	आराजीलाइनस	SC	12790/-	प्रशिक्षित स्नातक। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/ समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी०जी०डी०सी०ए०/बी०सी०ए०/ बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी०ओ०ई०पी०सी०सी० या समकक्ष संस्था से "ओ" लेवल/ "ए" लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
10	अंशकालिक शिक्षिका (महिला)	कला क्राफ्ट संगीत	1	आराजीलाइनस	EWS	12790/-	कला क्राफ्ट संगीत / गृह शिल्प विषय से प्रशिक्षित स्नातक तथा एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/एल०टी०/ समकक्ष
11	अंशकालिक शिक्षिका (महिला)	शारीरिक शिक्षा	1	पिण्डरा	SC	12790/-	बी०पी०एड०/ सी०पी०एड०/ डी०टी०एड० आदि उपाधि।
12	मुख्य रसोईया (महिला)	-	1	आराजीलाइनस	GEN	9006/-	कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिये तथा पाक विद्या में निपुण हो।
13				आराजीलाइनस	GEN	6755/-	
14				आराजीलाइनस	GEN		
15	सहायक रसोईया (महिला)	-	4	चिरगाँव	GEN		कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिये तथा पाक विद्या में निपुण हो।
16				सेवापरी	EWS		

17				आराजीलाइनस	SC	7505/-	
18	चौकीदार (महिला)	-	3	चिरगाँव	SC		प्रतिमाह को दर से (13 प्रतिशत नियोजन अंशदान को सम्मिलित करते हुए।
19				नगर क्षेत्र	GEN		

### अन्य निर्देश-

- समस्त स्टाफ को चयन वर्ष 1 अप्रैल, 2026 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं, उन शिक्षकों द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये हैं, उन शिक्षकों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासननिदेश संख्या-के०जी०बी०वी०/3-2/1916/2013-14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी०ई०टी० की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके द्वारा विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 अंक अतिरिक्त भारक दिया जायेगा किन्तु अधिकतम भारक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका तथा अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका तथा अंशकालिक शिक्षिका के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा-

क्र. सं.	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्त का प्रतिशत X 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्त का प्रतिशत X 10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्त का प्रतिशत X 20/100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्त का प्रतिशत X 30/100
5	भारक	प्रत्येक पूर्ण अभ्यापन वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो

- क०गा०बा०वि० में उक्त पदों पर शैक्षणिक स्टाफ का चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। जिसमें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं बी०एड० के अंको के प्रतिशत को जोड़कर लब्धका निकाला जायेगा।
- आवेदन पत्र के साथ स्नातक के तीनों वर्षों का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार का पद पूर्ण कालिक है। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया एवं चौकीदार के पद पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा। चयन के उपरान्त पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया एवं चौकीदार को विद्यालय परिसर में छात्राओं के साथ निवास करना अनिवार्य होगा।
- चौकीदार का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा तथा मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया का चयन साक्षात्कार व शारीरिक क्षमता एवं पाक कला के ज्ञान के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए कक्षा-8 पास अनिवार्य है।
- किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक / चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह / पात्र नहीं होगा।
- शैक्षणिक स्टाफ हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा, जिनके स्नातक के विषय उक्तवत् विवरण में दी गयी विषयों से मिलान करेगी।
- अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त शैक्षिक अंकपत्रों, प्रमाणपत्रों / अनुभव प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाणपत्र की छायाप्रतियाँ स्वप्रमाणित हों, संलग्न किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर रू० 42/- डाक टिकट चस्पा हो।
- एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में अंकित किया जाय।
- विज्ञापित के साथ निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई भी परिवर्तन / परिवर्धन अमान्य होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं के बाद में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। सभी सूचनाएँ निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से अंकित किये जायें। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कटिंग / ओवरराइटिंग की दृष्टा में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही इसकी सूचना अभ्यर्थी को दी जायेगी।
- दिनांक 10 जुलाई, 2026 सार्व 05:00 बजे तक ही पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। उक्त तिथि व समय के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
- उपर्युक्त समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन अथवा शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए नियत मानदेय पर संविदा पर आधारित होगा।
- रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है तथा किसी भी पद के लिए विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। इसमें किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- शिक्षक / शिक्षण तंत्र स्टाफ के नवीन चयन के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत समस्त अंकपत्रों / प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बोर्ड / परीक्षा संस्था से सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- उक्त विज्ञापित एवं प्रारूप Varanasi.nic.in पर एवं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर विस्तृत रूप से उपलब्ध है।

**(भूपेन्द्र सिंह)**  
**जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी**